


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ ज्येष्ठ 11, 1938

No. 389]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 1 जून, 2016

सं. फेमा 365/ 2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 571(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन:-

- (i) मौजूदा विनियम 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“ भारत में निवासी कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के तहत अनुमत लेनदेनों के संबंध में किसी जोखिम गत एक्सपोजर

को हेज करने अथवा अन्यथा, अनुसूची -I में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा संबंधी कारार कर सकता है। ”

(ii) अनुसूची-I में, मौजूदा पैराग्राफ 'बी' के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा अर्थात:

“(सी) अंतर्निहित एक्सपोजर के बाबत एकल ऑप्शन्स का करार करना (Writing of standalone options against underlying exposure)

भारत में निवासी कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम, अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों अथवा आदेशों के अंतर्गत जिन लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय अनुमत है, उनसे संबंधित अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास क्रॉस-करेंसी ऑप्शन संविदा (जिनमें से एक करेंसी रुपया न हो) और / अथवा विदेशी मुद्रा रुपया ऑप्शन संविदा संबंधी करार कर सकता है बशर्ते वे समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हों।”

आर. सुब्रमणियन, मुख्य महाप्रबंधक

[फा. सं. 1/15/ई एम/2015]

पाद टिप्पणी : 1. मूल विनियमावली 8 मई 2000 के सा.का.नि. सं. 411(अ), भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 756(अ) दिनांक 28.09.2000	सा.का.नि. सं. 760(अ) दिनांक 07.12.2007
सा.का.नि. सं. 264(अ) दिनांक 09.04.2002	सा.का.नि. सं. 577(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 579(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 440(अ) दिनांक 23.06.2009
सा.का.नि. सं. 222(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 895(अ) दिनांक 14.12.2009
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 09.07.2003	सा.का.नि. सं. 635(अ) दिनांक 27.07.2010
सा.का.नि. सं. 880(अ) दिनांक 11.11.2003	सा.का.नि. सं. 608(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 881(अ) दिनांक 11.11.2003	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 30.12.2012
सा.का.नि. सं. 750(अ) दिनांक 28.12.2005	सा.का.नि. सं. 330(अ) दिनांक 23.05.2013
सा.का.नि. सं. 222(अ) दिनांक 19.04.2006	सा.का.नि. सं. 374(अ) दिनांक 02.06.2014
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 19.04.2006	

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st June, 2016

No. FEMA. 365/2016-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts)

(Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 25/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come in to force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulations:

- (i) The existing Regulation 4 shall be substituted by the following:

“A person resident in India may enter into a foreign exchange derivative contract in accordance with provisions contained in Schedule I, to hedge an exposure to risk or otherwise, in respect of a transaction permissible under the Act, or rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder.”

- (ii) In Schedule I, after the existing paragraph ‘B’, the following shall be added, viz.:

“(C) Writing of standalone options against underlying exposure

A person resident in India may enter into cross-currency option contract (not involving the rupee as one of the currencies) and / or foreign currency – rupee option contract authorised dealer against an underlying foreign exchange exposure in respect of a transaction for which sale and / or purchase of foreign currency is permitted under the Act or the rules or regulations or directions or orders made or issued thereunder subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time.”

[F. No. 1/15/EM-2015]

R. SUBRAMANIAN, Chief General Manager

Foot Note : 1. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 411(E), Dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide :-

G.S.R. No. 756(E) dated 28.09.2000
 G.S.R. No. 264(E) dated 09.04.2002
 G.S.R. No. 579(E) dated 19.08.2002
 G.S.R. No. 222(E) dated 18.03.2003
 G.S.R. No. 532(E) dated 09.07.2003
 G.S.R. No. 880(E) dated 11.11.2003
 G.S.R. No. 881(E) dated 11.11.2003
 G.S.R. No. 750(E) dated 28.12.2005
 G.S.R. No. 222(E) dated 19.04.2006
 G.S.R. No. 223(E) dated 19.04.2006

G.S.R. No. 760(E) dated 07.12.2007
 G.S.R. No. 577(E) dated 05.08.2008
 G.S.R. No. 440(E) dated 23.06.2009
 G.S.R. No. 895(E) dated 14.12.2009
 G.S.R. No. 635(E) dated 27.07.2010
 G.S.R. No. 608(E) dated 03.08.2012
 G.S.R. No. 799(E) dated 30.12.2012
 G.S.R. No. 330(E) dated 23.05.2013
 G.S.R. No. 374(E) dated 02.06.2014